न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी (राज०)

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.4.23	पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 के तहत चिन्हित की गई है। अतः पत्रावली केम्प दिनांक 11.5.23 को पेश हो।	
11.5.23	पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 के तहत आज केम्प पुवालिया में पेश हुई। पत्रावली पूर्वादेशानुसार नियत तिथि 18.8.23 को पेश हो।	
18.8.23	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप० है। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 4.9.23 को पेश हो।	
4.9.23	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य राजकार्य मे तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 9.9.23 को पेश हो।	
9.9.23	पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत आज पेश हुई। राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत प्री काउन्सलिंग केम्प दिनांक 3.9.23 में प्रार्थी ने उपस्थित होकर अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करमाने हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र के सम[illegible] में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट [illegible], जिसके अनुसार प्रार्थी [illegible] को गांव में परसराम व परशुराम दो नामों से जाना जाता है। जमाबंदी सं. 2076-79 के खाता सं. 49 ग्राम पाण्डूला में	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी (राज0)

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इरा हुक्म की तामील में जारी हुए
	परसराम पुत्र प्रभू हि० 1/4 व ग्राम धीरपुर जमांबदी संवत् 2077-79 खाता सं. 32 में परसराम पुत्र प्रभू हि० 1/8 दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट के अनुसार परसराम पुत्र प्रभू के स्थान पर परसराम उर्फ परशुराम पुत्र प्रभूलाल शुद्ध करना उचित होगा। हमने प्रार्थना पत्र, शपथ-पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज एवं तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार नैनवां की से परसराम पुत्र प्रभू एवं परशुराम पुत्र प्रभूलाल एक ही व्यक्ति होना स्पष्ट है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 LR Act स्वीकार किया जाता है। ग्राम पा०डूला पटवार हल्का धानुगांव तहसील नैनवां की जमाबंदी संवत् 2076-79 के खाता सं. 49 एवं ग्राम धीरपुर की जमाबंदी संवत् 2077-79 के खाता सं. 32 मे दर्ज सहखातेदार "परसराम पुत्र प्रभू" के स्थान पर "परसराम उर्फ परशुराम पुत्र प्रभूलाल" संशोधित किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति नैनवां जिला बून्दी (राज०) 9/9/23 Signature Not Verified Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar Date: 2023.10.10 16:13:11 IST Reason: SelfAttested	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां जिला बून्दी (राज0)

क्रमांकः– रीडर/20.22/ 278 दिनांकः–11.9.23

प्रेषितिः–

तहसीलदार
नैनवां।

विषयः–न्यायालय निर्णय की पालना करने हेतु। 2022/358

वाद/प्रार्थना पत्र संख्या परशुराम vs श्री स्वामी TDR

बउनवान (196/ग्राम्य/2022) बनाम

निर्णय दिनांक 9-9-23

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वाद पत्र/प्रार्थना पत्र के निर्णयानुसार पत्र के साथ ~~प्राथमिक डिक्री/अन्तिम डिक्री/~~अंतिम निर्णय की प्रति वास्ते पालना हेतु भिजवायी जा रही है। पालना अन्दर 7 योम के की जाकर रिपोर्ट से अवगत करावे।

संलग्नः– उक्तानुसार।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.10.10 16:13:11 IST
Reason: SelfAttested